न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2610/2004/जैसलमेर

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन, नाचना–2

---- अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती जन्नत बेवा मोमदे खां,
2. खुदन खां पुत्र मोमदे खां,
3. अमरदीन पुत्र मोमदे खां जाति मुसलमान साकिन पांचे का तला,तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।

---- रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य
श्री अविनाश चौधरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री हनुमान प्रसाद, अति0 राजकीय अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री राजेश गौतम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक :– 10.10.2022

यह अपील धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा अपील संख्या 199/2003 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2004 बउनवानी सरकार बनाम श्रीमती जन्नत के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलांट ने विद्वान विचारण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन इ0गा0न0प0 नाचना–1 के समक्ष एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा15 ए.ए.ए. उप धारा 2–क व धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम 1992 एवं सपठित धारा 188 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विवादित आराजी के बाबत् प्रस्तुत किया गया जिसे

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिसका प्रतिवादी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि दावा झूंठे तथ्यों पर पेश किया गया है जो खारिज फरमाया जावें। विद्वान विचारण न्यायालय ने दावे व जवाब दावे के आधार पर तनकियात कायम कर उनका विस्तृत विवेचन करते हुए उपस्थित अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27-06-2003 से वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 27-06-2003 से क्षुब्ध होकर राजस्थान सरकार ने विद्वान अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31-01-2004 से अपीलकर्ता की अपील को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27-06-2003 यथावत रखा गया है जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 31-01-2004 से व्यथित होकर अपीलांट राजस्थान सरकार की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4- अपीलांट के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट/वादीगण यह सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं कि वादग्रस्त आराजी को उन्होंने भूतपूर्व जागीरदार से काश्त हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1055 के प्रभाव में आने से पूर्व प्राप्त की थी एवं जागीर पुर्नग्रहण के समय या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के समय वे प्रश्नगत आराजी को बतौर टिनेन्ट काश्त करते चले आ रहे हैं। इस कारण जब तक वे अपने

आपको आराजी का टिनेन्ट साबित नहीं कर देते तब तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। टिनेन्ट की परिभाषा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 5(43) में दे रखी है जिसके अनुसार टिनेन्ट को लगान जमा कराने का दायित्व है और मात्र लगान जमा करा देने मात्र से उसकी हैसियत कृषक की नहीं हो जाती है, उसे अपनी टिनेन्सी का स्त्रोत बताना आवश्यक है तभी उसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अनुतोष प्रदान किया जा सकता है अथवा नहीं? प्रश्नगत भूमि राजकीय भूमि है तथा उक्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं था तथा उसके द्वारा न तो कोई ऐसी तुलनात्मक सूची प्रस्तुत की गई जिससे यह साबित हो कि पुराने खसरा नंबर से ही प्रश्नगत आराजी जिसके बाबत् वाद डिक्री किया गया है, वह समान भूमि है। इस प्रकार मात्र मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावे को डिक्री नहीं किया जा सकता है। मात्र खसरा गिरदावरी के अंकन के आधार पर कोई वाद का निस्तारण नहीं किया जा सकता है तथा खसरा गिरदावरी कोई राजस्व अभिलेख की तारीफ में नहीं आता है न ही उसके अंकन पर विश्वास कर निर्णय प्रदान किया जा सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का एवं राज्य सरकार द्वारा उसमें किये गये संशोधनों का सही प्रकार विश्लेषण व विवेचन नहीं कर आदेश प्रदान किये हैं जो निरस्तनीय हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के कोई प्रावधान नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगण का कोई अधिकार व

स्वत्व नहीं है क्योंकि उन्होंने 1994 में भूमिहीन कृषक के रूप में आवंटन हेतु जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया एवं शपथपत्र प्रस्तुत किया उसमें उन्होंने स्पष्ट अंकित किया कि उनके पास कोई भूमि नहीं है जबकि प्रस्तुत वाद में उनके द्वारा यह पुरानी खाते की आराजी बतायी जा रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय दिनांक 31–01–2004 एवं 27–06–2003 निरस्त किये जावें।

5– प्रत्युत्तर में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में तर्क दिये कि प्रश्नगत आराजी पर भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नगठन अधिनियम लागू होने से पहले से उक्त भूमि के काश्तकार थे और उसी हैसियत से भूमि पर काबिज हैं। प्रश्नगत आराजी उनके खुदकाश्त की भूमि है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय होने के कारण द्वितीय अपील के स्तर पर कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से अपीलांट की अपील काबिल खारिज योग्य है।

6– हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7– विद्वान विचारण न्यायालय उपायुक्त उप निवेशन इ0गा0न0प0 नाचना–1 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27–06–2003 में अंकित किया कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है।

8– विद्वान अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–01–2004 से अपीलकर्ता की अपील को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–06–2003 यथावत रखा गया है।

9– पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर

परियोजना, नाचना (जैसलमेर) में वाद अन्तर्गत धारा 15 एएए उपधारा 2–क व धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम द्वितीय संशोधन अधिनियम, 1992 एवं सपठित धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पेश कर विवादग्रस्त भूमि को वादीगण के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा।

जिसका जवाब नायब तहसीलदार उपनिवेशन तहसील नाचना नं0 2 ने प्रस्तुत कर कथन किये कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण के पति या पिता का नाम जमाबंदी में 2019–34 तक कभी भी दर्ज नहीं रहा है। चक 2 डी.डी.एम का मुरब्बा नं0 161/53 का कि0नं0 1/1 मौजअली को आवंटन हो चुका है। इसके अलावा मु0नं0 161/53, 161/61 आराजी राज है तथा 2041–48 तक वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पांचों का तला की भूमि का कोई भी खसरा नंबर चक 21 एन.यू.डी. में नहीं गया है जो मु0नं0 58/14 चक 21 एन.यू.डी. पर दावा करना आधारहीन है। चक 2 डी.डी.एम. का मु0नं0 161/53 तथा 161/61 ग्राम पांचों का तला के खसरा नं0 694 से बनते हैं जिन पर वादीगण के पति, पिता या स्वयं का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। सम्वत् 2037 से खसरा नं0 694 रकबा 108 बीघा 12 बिस्वा में से माजअली पुत्र फते खां को 75 बीघा तथा अलमव पुत्र फते खां को 33 बीघा 12 बिस्वा अस्थाई आवंटन हुआ है। इस प्रकार वादीगण का नया खसरा नंबर तथा चकों में आने पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अगर वादीगण के पिता, पति को अगर पर्चा लगान जारी हुआ है तो वह नियमानुसार खारिज हो चुका है। मौके पर कोई मकान या पानी का टांका नहीं है। जमाबन्दी तथा गिरदावरी में वादीगण का कोई नाम नहीं रकबा आराजी राज है।

10– पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड में नकल समरी बंदोबस्त ग्राम पांचे का तला सम्वत् 2014 से तामियाद ई.एक्स.पी–1, नकल ढाल–बांछ ग्राम पांचे का तला सम्वत् 2015, 2017, 2018 ई.एक्स.पी–2, नकल ढाल–बांछ सम्वत् 2019 से 2022 ई.एक्स.पी–3, नकल ढाल–बांछ सम्वत् 2023 से 2026 ई.एक्स.पी–4, नकल ढाल–बांछ सम्वत् 2027 से 2029 ई.एक्स.पी–5, नकल ढाल–बांछ सम्वत् 2030 से 2032 ई. एक्स.पी–6, नकल ढाल–बांछ सम्वत् ई.एक्स.पी–7, नकल जमाबन्दी ग्राम

पांचे का तला सम्वत् 2016 से 2019 ई.एक्स.पी–8, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2031 ई.एक्स.पी–9, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 ई.एक्स.पी–10, नकल आंशिक सूची नं0 4 ग्राम नाचना खसरेवार ई.एक्स.पी–11, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016 से 2019, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2020 से 2023, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2024 से 2027, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2028 से 2031, 2032 से 2034 ग्राम पांचे का तला ई.एक्स.पी–12 से 15, नकल खसरा गिरदावरी ग्राम नाचना सम्वत् 2035, 36 ई. एक्स.पी–16, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2037 से 2040 ई.एक्स. पी–17, नकल खसरा गिरदावरी चक 21 एन.यू.डी. मु0नं0 58/13, 58/22, 58/14, 58/6 सम्वत् 2046 से 2049 ई.एक्स.पी–18 से 20, नकल खसरा गिरदावरी चक 21 एन.यू.डी. मु.नं0 58/13, 58/6, 58/14, 58/22 ई.एक्स.पी–21 से 23 सम्वत् 2041 से 2045, नकल खसरा गिरदावरी चक 21 एन.यू.डी. मु0नं0 58/14, 58/6, 58/13, 58/22 सम्वत् 2050 से 2053 ई.एक्स.पी–24, 25, नकल खसरा गिरदावरी चक 21 एन.यू.डी. मु0नं0 58/6, 58/14, 58/13 सम्वत् 2054 से 2055 ई.एक्स.पी–26, राजस्थान उप निवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस दिनांक 18–10–2000 व दिनांक 18–10–2000 ई.एक्स.पी–27, 28 संलग्न है।

11– राजस्व रिकार्ड ई.एक्स.पी–1 पर्चा खतौनी ग्राम पांचे का तला सरकारी बंदोबस्त सम्वत् 2014 में कृषक के कॉलम नं0 4 में भाई + मोमदे खां वल्द जिनबडे खां कौम मुसलमान सा0दे0 गैर खातेदार दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम पांचे का तला सम्वत् 2016 से 2019 में कृषक के कॉलम नं0 5 में भाई मोहम्मद खां पुत्र जिनबडे खां कौम मुसलमान खसरा नं0 26 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2020 से 2033 में भाई मोहम्मद पुत्र जिनबडे खां मुसलमान सा0दे0 गैर खातेदार खसरा नं0 26 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। ई.एक्स.पी–11 आंशिक नकल रकबा नहरी बारानी सजरेवार ग्राम नाचना है जिनमें चक नम्बर, मुरब्बा नम्बर व खसरा नम्बर अंकित है।

12– विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपायुक्त उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नाचना जिला जैसलमेर ने उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया है जो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से निम्न आधारों पर पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है –

1. विद्वान उपायुक्त में दावा प्रमुखतः ई.एक्स.पी–1 पर्चा खतौनी ग्राम पांचे का तला सरसरी बंदोबस्त सम्वत् 2014 के आधार पर सिद्ध माना है। जबकि ई.एक्स.पी–1 पर्चा खतौनी में जो खसरा नम्बर 26 रकबा 28 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। उनके नये खसरा नम्बरान का कोई मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं किया गया है। पर्चा खतौनी में तो रकबा केवल 28 बीघा 15 बिस्वा ही दर्ज है जो आंशिक नकल चक नम्बर, मुरब्बा नम्बर, रकबा नम्बर की पेश की है उसमें खसरा नम्बर 341/2 के पुराने खसरा नम्बर 26 अंकित ही नहीं है। साथ ही खसरा नम्बर 341, 341/1, 342, 343/1 के पुराने नम्बरों में खसरा नम्बर 26 है ही नहीं। यदि पुराने खसरा नम्बर 26 के बाद जो भी नया नम्बर बना है तो उसका भी मिलान क्षेत्रफल पेश नहीं है। पर्चा खतौनी सरसरी बंदोबस्त सम्वत् 2014 तो केवल 28 बीघा 15 बिस्वा की है लेकिन विद्वान उपायुक्त ने कुल 61 बीघा की खातेदारी प्रदान कर दी जो कतई न्यायोचित नहीं माना जा सकता।
2. विद्वान उपायुक्त ने केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर तथा खसरा गिरदावरी, नकल ढाल–बांछ के आधार दावा स्वीकार कर लिया जबकि खसरा गिरदावरी की प्रविष्ठि तथा ढाल–बांछ के आधार पर राजस्थान काश्तकारी कानून में खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
3. विद्वान उपायुक्त ने अपने निर्णय में मान लिया कि विवादग्रस्त भूमि मुले वाली ग्राम पांचे का तला में था किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमाईश कर गांव की हदबन्दी की गई तो वादग्रस्त रकबा ग्राम नाचना की हद में पैमाईश हुआ मान लिया जिसका कोई राजस्व रिकार्ड वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया जबकि

नायब तहसीलदार ने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा कि चक 2 डी.डी.एम का मुरब्बा नं0 161/53 का कि0नं0 1/1 मौजअली को आवंटन हो चुका है। इसके अलावा मु0नं0 161/53, 161/61 आराजी राज है तथा 2041–48 तक वादीगण का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। पांचों का तला की भूमि का कोई भी खसरा नंबर चक 21 एन.यू.डी. में नहीं गया है जो मु0नं0 58/14 चक 21 एन.यू.डी. पर दावा करना आधारहीन है। चक 2 डी.डी.एम. का मु0नं0 161/53 तथा 161/61 ग्राम पांचों का तला के खसरा नं0 694 से बनते हैं जिन पर वादीगण के पति, पिता या स्वयं का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। सम्वत् 2037 से खसरा नं0 694 रकबा 108 बीघा 12 बिस्वा में से मोजअली पुत्र फते खां को 75 बीघा तथा अलमव पुत्र फते खां को 33 बीघा 12 बिस्वा अस्थाई आवंटन हुआ है। इस प्रकार वादीगण का नया खसरा नंबर तथा चकों में आने पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अगर वादीगण के पिता, पति को अगर पर्चा लगान जारी हुआ है तो वह नियमानुसार खारिज हो चुका है। मौके पर कोई मकान या पानी का टांका नहीं है। जमाबन्दी तथा गिरदावरी में वादीगण का कोई नाम नहीं रकबा आराजी राज है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान उपायुक्त उपनिवेशन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना नाचना–2 का निर्णय दिनांक 27–06–2003 पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है एवं पुष्टि किये जाने योग्य नहीं है।

13– विद्वान अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने अपने निर्णय दिनांक 31–01–2004 में अंकित किया कि उक्त विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2016 से 3034 में गैर खातेदारी दर्ज रही है तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्वत् 2015 से 2034 तक लगान अदा किया गया है। मूल पत्रावली के संलग्न खसरा गिरदावरी एवं बयान हल्का पटवारी पीडब्ल्यू–5 के बयानों के आधार पर रेस्पोडेन्ट सम्वत् 2014 समरी सैटलमेन्ट से आज तक वादग्रस्त भूमि पर काबिज है और काश्त कर रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में

रेस्पोडेन्ट सम्वत् 2034 तक गैर खातेदार टिनेन्ट दर्ज रहे हैं। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त बतौर अतिक्रमी दर्ज है। उपरोक्त तथ्यों से रेस्पोडेन्ट व इनका पति/पिता वादग्रस्त भूमि पर बतौर काश्तकार दर्ज रहे हैं। इसलिए रेस्पोडेन्ट अब भी वर्तमान रिकार्ड में गेर खातेदार दर्ज रहने के अधिकारी है। विद्वान अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि नजरी सर्वे एवं आन्दाजिया समरी सैटलमेंट में खसरा नं0 86 रकबा 45 बीघा गेरीवाला व खसरा नं0 105 रकबा 21 बीघा मुलेवाली ग्राम पांचे का तला में स्थित था किंतु भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश कर गांव की हदबंदी की गई तो उक्त वादग्रस्त रकबा ग्राम नाचना की हद में पैमाईश हुआ है जिसके नये खसरा नं0 341/2 रकबा 35–14 बीघा, 341/2 रकबा 10–08 बीघा, 342 रकबा 6–18 बीघा, 343/1 रकबा 8–04 बीघा कुल 61–04 बीघा पैमुद हुआ है वर्तमान में उक्त रकबा चक 18 एन.यू.डी. के मुरब्बा नं0 58/13 के किला नं0 5 ता 7, 14 ता 18, 21 ता 25 रकबा 13 बीघा, मुरब्बा नं0 58/14 के किला नं0 1 ता 25 रकबा 25 बीघा, मु0नं0 58/22 के किला नं0 1, 2, 8 ता 13, 19 ता 21 रकबा 21 बीघा, मु0नं0 58/6 के किला नं0 5 ता 7, 13 ता 19, 21 ता 22 रकबा 12 बीघा कुल रकबा 61 बीघा फिटिंग हुआ है जिस पर रेस्पोडेन्ट का सम्वत् 2014 समरी बन्दोबस्त से आज तक लगातार कब्जा व काश्त है।

विद्वान अतिरिक्त आयुक्त,उपनिवेशन के उक्त निष्कर्ष उचित नहीं है क्योकि भू–प्रबंध विभाग द्वारा पैमाईश कर गांव की हदबंदी की गई तो वादग्रस्त रकबा ग्राम नाचना की हद में पैमाईश कर दिया जिसका कोई राजस्व रिकार्ड वादीगण द्वारा पेश नहीं किया गया जबकि नायब तहसीलदार ने अपने जवाब में स्पष्ट लिखा कि पांचों का तला की भूमि का कोई भी खसरा नं0 चक 21 एन.यू.डी. में नहीं गया है। मु0नं0 58/14 चक 21 एन.यू.डी. पर दावा करना आधारहीन है। चक 2 डी. डी.एम का मु0नं0 161/53 तथा 161/61 ग्राम पांचों का तला के खसरा नं0 694 से बनते हैं जिन पर वादीगण के पति, पिता या स्वयं का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। सम्वत् 2037 से खसरा नं0 694 रकबा 108 बीघा 12 बिस्वा में से माजअली पुत्र फते खां को 75

बीघा तथा अलमव पुत्र फते खां को 33 बीघा 12 बिस्वा अस्थाई आवंटन हुआ है। इस प्रकार वादीगण का नया खसरा नं0 तथा चकों में आने पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। अगर वादीगण के पिता, पति को अगर पर्चा लगान जारी हुआ तो वह नियमानुसार खारिज हो चुका है। जमाबंदी में वादीगण का नाम नहीं होकर रकबा आराजी राज दर्ज है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर ने भी विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करने में गम्भीर त्रुटि कारित की है।

14- अतः विद्वान उपायुक्त, उपनिवेशन, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, नाचना-2 जैसलमेर का निर्णय दिनांक 27-06-2003 तथा विद्वान अतिरिक्त आयुक्त, उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर का निर्णय दिनांक 31-01-2004 पुष्टि किये जाने योग्य नहीं है एवं अपास्त किये जाने योग्य है।

15- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट **स्वीकार** की जाकर विद्वान अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31-01-2004 एवं उपायुक्त उप निवेशन इ0गा0न0प0 नाचना-1 के निर्णय व डिक्री दिनांक 27-06-2003 अपास्त किये जाते हैं।

16- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अविनाश चौधरी)
सदस्य

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य